न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–66 / 2021

जी.सी.एम.एस नं.–2021 / 137

राजकौर पत्नी बलवन्तसिंह पुत्री इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 एम एस आर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादीया

बनाम्

1. जगदीश राय पुत्र रणजीतसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कुलजीतसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. कुलविन्द्रसिंह पुत्र दर्षनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. छिन्द्रपालसिंह पुत्र दर्षनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. गुरप्रीतसिंह पुत्र कष्मीरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. मनप्रीतसिंह पुत्र स्व. कष्मीरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. मलकीतसिंह पुत्र स्व. हरदतसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हरदतसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. सुखविन्द्रकौर पत्नी हरदीपसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. दर्शनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. कश्मीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
12. रणजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

13. हरबन्सकौर पत्नी जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
14. कालासिंह पुत्र सन्तोखसिंह जाति रायसिख निवासी चक 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
15. मंगलसिंह पुत्र सन्तोखसिंह जाति रायसिख निवासी चक 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
16. मनजीतकौर पत्नी सन्तोखसिंह जाति रायसिख निवासी चक 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
17. सरोज बाई पत्नी कालासिंह पुत्री सन्तोखसिंह जाति रायसिख निवासी चक 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
18. सन्तोखसिंह पुत्र दर्षनसिंह जाति रायसिख निवासी चक 37 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
20. उप–पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
21. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री योगेन्द्रकुमार एडवोकेट वादीया की ओर से
2. श्री गोरव भारद्राज एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 ता 6, 10 व 11 की ओर से
3. श्री हेरेन्द्र सिंह सेंखो एडवोकेट प्रतिवादी सं.–13 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांकः–27/05/16

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 30 एपीडी का मुरब्बा नं.–13 प.नं.–327/405 का 1 ता 25 में कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी मय खाला कृषि भूमि का वादीया को स्व. इन्द्र सिंह पुत्र चौधरी सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.02.2019 के आधार पर खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावें और तद्नुसार विवादित कृषि भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ को दिया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.–1, 3, 5 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 21.02.2019 आधार पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं.–1 ता 8 के पक्ष में स्व. इन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 29.08.19 को वसीयत निष्पादित कर पंजीकृत करवाई थी जो पंजीकृत दस्तावेज है। जिस वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाऐ बिना वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। चूंकि वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 21.02.2019 की बताई गई है जबकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.08.2019 की है जो स्व. इन्द्रसिहं द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत अन्तिम वसीयत है तथा स्व. इन्द्रसिहं के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि वसीयत दिनांक 29.08.2019 प्रभाव में आ चुकी है तथा उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं.–1 ता 8 के कब्जा में है वादीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है कब्जा के आभाव में वादीया श्रीमान् न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में हस्तगत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजूदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीया/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि वादीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 21.02.2019 निष्पादित होना स्वीकार है लेकिन शेष मद तोड़–मरोड कर गलत व निराधार अंकित की है जो अस्वीकार है। वादीया ने उपर्युक्त अनवान का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राज, काश्तकारी अधिनियम में वादाधीन कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक नं.–30 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 13 का पत्थर संख्या 327/405 का किला नं.–1 ता 25 का कुल 6.325 हैक्टर का वादीया को खातेदार टीनेन्ट घोषित करने, अतिक्रमियों प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की बेदखली एवं स्थाई व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त अनवान के वाद में वादीया का मुख्य अनुतोष कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं व्यादेश का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। वसीयत दिनांक 29.08.2019 आरम्भत शून्य व निष्प्रभावी, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है जिसकी अनदेखी कर राजस्व न्यायालय वादीया के अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं व्यादेश का अनुतोष वादीया को प्रदत्त कर सकता है तथा वादीया का वाद पोषणीय है। वादीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 21.02.2019 को निष्पादित करना स्वीकार है लेकिन शेष मद तोड़–मरोड़ कर निराधार अंकित की है। कथित वसीयत दिनांक 29.08.2019 आरम्भतः शून्य व निष्प्रभावी, फर्जी व कूटरचित है जो वादीया के पिता इन्द्र सिंह ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं.–1 ता 8 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाई है, कथित वसीयत दिनांक 29.08.2019 से प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादाधीन भूमि पर प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी काबिज है जिनकी बेदखली का अनुतोष वादीया ने वाद–पत्र में माननीय न्यायालय से चाहा है, कृषि भूमि का बेदखली का अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। इसलिए वादीया के वाद की सुनवाई

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 21.02.2019 आधार पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं.–1 ता 8 के पक्ष में स्व. इन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 29.08.19 को वसीयत निष्पादित कर पंजीकृत करवाई थी जो पंजीकृत दस्तावेज है। जिस वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाऐ बिना वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। चूंकि वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 21.02.2019 की बताई गई है जबकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.08.2019 की है जो स्व. इन्द्रसिहं द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत अन्तिम वसीयत है तथा स्व. इन्द्रसिहं के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि वसीयत दिनांक 29.08.2019 प्रभाव में आ चुकी है तथा उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं.–1 ता 8 के कब्जा में है वादीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है कब्जा के आभाव में वादीया श्रीमान् न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में हस्तगत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजूदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीया/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि वादीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 21.02.2019 निष्पादित होना स्वीकार है लेकिन शेष मद तोड़–मरोड कर गलत व निराधार अंकित की है जो अस्वीकार है। वादीया ने उपर्युक्त अनवान का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राज, काश्तकारी अधिनियम में वादाधीन कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक नं.–30 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 13 का पत्थर संख्या 327/405 का किला नं.–1 ता 25 का कुल 6.325 हैक्टर का वादीया को खातेदार टीनेन्ट घोषित करने, अतिक्रमियों प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की बेदखली एवं स्थाई व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त अनवान के वाद में वादीया का मुख्य अनुतोष कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं व्यादेश का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। वसीयत दिनांक 29.08.2019 आरम्भत शून्य व निष्प्रभावी, फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है जिसकी अनदेखी कर राजस्व न्यायालय वादीया के अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं व्यादेश का अनुतोष वादीया को प्रदत्त कर सकता है तथा वादीया का वाद पोषणीय है। वादीया के पक्ष में वसीयत दिनांक 21.02.2019 को निष्पादित करना स्वीकार है लेकिन शेष मद तोड़–मरोड़ कर निराधार अंकित की है। कथित वसीयत दिनांक 29.08.2019 आरम्भतः शून्य व निष्प्रभावी, फर्जी व कूटरचित है जो वादीया के पिता इन्द्र सिंह ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी सं.–1 ता 8 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाई है, कथित वसीयत दिनांक 29.08.2019 से प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादाधीन भूमि पर प्रतिवादीगण बतौर अतिक्रमी काबिज है जिनकी बेदखली का अनुतोष वादीया ने वाद–पत्र में माननीय न्यायालय से चाहा है, कृषि भूमि का बेदखली का अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। इसलिए वादीया के वाद की सुनवाई

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

का एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। वादीया का वाद पोषणीय है। वादीया द्वारा मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्लेम किया गया है, खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं बल्कि राजस्व न्यायालय को है। आर.टी.एक्ट की तृतीय अनुसूची मुताबिक वाद की सुनवाई का एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को है। वादीया का वाद विधि वर्जित नहीं है। वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीया के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि वादीया के द्वारा विवादित कृषि भूमि का स्व. इन्द्र सिंह पुत्र चौधरी सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.02.2019 के आधार पर खातेदार टीनेन्ट अधिकारो की घोषणा के सबंध में अनुतोष चाहा है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं.–1 ता 8 के पक्ष में स्व. इन्द्रसिहं द्वारा दिनांक 29.08.19 को वसीयत निष्पादित कर पंजीकृत करवाई थी, जो पंजीकृत दस्तावेज है। तथा स्व. इन्द्रसिंह के देहान्त के उपरांत उक्त भूमि वसीयत दिनांक 29.08.2019 प्रभाव में आ चुकी है तथा उक्त वसीयत के आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं.–1ता8 के कब्जा में है कृषि भूमि के संबध में पंजीबद्ध वसीयत के सबंध मे सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता सिविल न्यायालय को है वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णत नही कि जा सकती तथा ऐसी स्थिति मे वादीया पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान् न्यायालय से इसी प्रकार अन्तोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीया का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने कारण काबिल निरस्त है अतः प्रतिवादी सं.–1, 3, 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामजूंर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–1, 3, 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं वादीया के हस्तगत वाद पत्र को इसी स्तर पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़